बिहार राज्य का धार्मिक न्यास बोर्ड
बनाम
रामसुबरन दास

29 फरवरी, 1996
[न्यायमूर्तिगण एस०पी० भरुचा और एस० बी० मजुमदार]

साक्ष्य अधिनियम, 1872- धारा 102 साक्ष्य की जिम्मेदारी- मुकदमा दायर किया गया यह दावा करते हुए पूर्व वर्ती द्वारा किया गया कार्य वादी पर बाध्यकारी नही था क्योंकि यह तध्य और कानून की गलती के कारण किया गया था। माना जाता है कि कानून और तथ्य की गलती को स्थापित करने के लिए सबूत का भार वादी पर है।

हिंदू कानून- मंदिरों के सार्वजनिक या निजी निर्धारण की प्रकृति।

एक एस, जो एक मुस्लिम था, ने एक एम को भूमि का कुछ क्षेत्र दिया, जिसने उक्त भूमि पर एक मंदिर का निर्माण किया था। एम अपने दो चेलों को पीछे छोड़ते हुए मर गया। एच, जो एम के चेलों में एक थे, ने दूसरे गांव में कुछ जमीन खरीदी और उक्त जमीन पर एक मंदिर का निर्माण किया। एच मर गया और विभिन्न व्यक्तियों ने उनका स्थान ले लिया। आर, जो 1951 में जमींदारी के उन्मूलन के समय एच के उत्तराधिकारी थे, विवरणी दाखिल की जिसमें उन्होंने इस आधार पर दावा किया कि दोनों मंदिर सार्वजनिक मंदिर थे।

1961 में, प्रत्यर्थी, जो आर के भतीजा और चेला थे, ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया यह दावा करते हुए कि जो विवरणी आर ने दायर की सार्वजनिक मंदिर होने वाले मंदिरों को कानून के गलत दृष्टिकोण के तहत दायर किया गया था तथ्य और प्रत्यर्थी पर बाध्यकारी नहीं थे। प्रत्यर्थी द्वारा यह दावा किया गया था कि संपत्तियां उसकी धर्मनिरपेक्ष संपत्तियां या सबसे अच्छा, निजी न्यास संपत्तियां थी।

विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी के वाद का निर्णय देते हुए कहा कि मुसलमान किसी हिंदू देवता को जमीन दान नहीं कर सकता था। विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि जनता का मंदिर के निर्माण से कोई लेना देना है और अपीलार्थी के नेतृत्व में प्रस्तुत किये गये इस मौखिक साक्ष्य कि जनता के सदस्यों को 'दर्शन' के लिए मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, बहुत महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि यह हिंदू भावनाओं के खिलाफ होगा या भक्तो को मंदिर से दूर रखने की प्रथा होगी। एक महिला द्वारा मंदिरों में से एक को कुछ सम्पत्तियों के दान के साक्ष्य के सम्बन्ध में, विचारण न्यायालय ने कहा कि एक पवित्र महिला द्वारा मंदिर के देवता को अतिरिक्त अनुदान देने से मंदिर को सार्वजनिक नहीं किया गया।

विचारण न्यायालय ने आगे अभिलिखित किया कि प्रत्यर्थी के साक्ष्य से पता चलता है कि आर उस समय बीमार था जब उसने उपरोक्त विवरणी दाखिल की थी। विचारण अदालत के आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और वह खारिज हो गया।

इस न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने दावा किया कि चूंकि ये मंदिर प्राचीन थे। जनता के प्रति इसके समर्पण का प्रमाण ढूंढ़ना मुश्किल था और इसलिये, मंदिर के प्रबंधन और पूजा के सम्बन्ध में परिस्थितियों को मंदिर की सार्वजनिक या निजी प्रकृति के संकेतक के रूप में लिया जाना चाहिये।

अपील को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने कहा,

1. उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय सराहना करने में विफल रहे कि यह कानून और तथ्य की गलती के आधार पर एक मुकदमा था। यह वादी प्रत्यर्थी के लिये था कि वह इस दायित्व का निर्वहन करे और इस तथ्य के कारण दायित्व को और अधिक भारी कर दिया गया कि कथित गलती प्रत्यर्थी की नहीं बल्कि उसके मृत पूर्ववर्ती की थी। यह स्थापित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि आर ने तथ्य या कानून की गलती पर काम किया था और इसलिए, मुकदमे को खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

2. तथ्य यह कि एक पवित्र महिला मंदिर के देवता को भूमि का समर्पण कर सकती थी और यह स्वीकार कर लिया गया था, मंदिर के सार्वजनिक चरित्र को दर्शाता है। यह कि महंथों ने अपने नाम से सम्पत्तियों को संभाला था, इस तथ्य से अलग नही करता कि मंदिर सार्वजनिक मंदिर थें, क्योंकि यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि यह उन देवताओं की ओर से किया जा रहा था जिन्हें सम्पत्तियां समर्पित की गई थीं।

3. विचारण न्यायालय ने यह कहने में गलती की थी कि प्रत्यर्थी ने शपथ प्रमाण दिया था कि, उस प्रासंगिक अवधि के दौरान जिसमें उन्होंने विवरणी दाखिल की थी, आर बीमार था। वादी के साक्ष्य में यह नही कहा गया है कि आर बीमार था। यह असमर्थता का एक ऐसा मामला है जिसका अनुरोध नहीं किया गया था।

4. आधार जिस पर विचारण न्यायालय ने कहा कि अनुदान देवता के लिये एक अनुदान प्रतीत नही होता है एवं यह कि मुस्लिम के द्वारा हिन्दू देवता को नही दिया जा सकता था, स्पप्ट नही है और यह गलत प्रतीत होता है।

बाला शंकर महा शंकर भट्टजी और अन्य। वी. चैरिटी कमिश्नर, गुजरात राज्य,
[1995] पूरक। 1 एस.सी.सी. 485, संदर्भित।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संख्या 846/1981.

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश दिनांकित 21.05.8. 1966 के एफ. ए. संख्या- 88.

लक्ष्मी रमन सिंह एड. अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

भरुचा, जे. अपील के तहत आदेश एक विद्वान द्वारा पारित किया गया था। पटना में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी द्वारा उनके विरुद्ध दायर एक मुकदमें में मुजफ्फरपुर के अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश और डिक्री के विरुद्ध वर्तमान अपीलार्थियों की अपील खारिज कर दी गई।

मुकदमा दो मंदिरों से सम्बंधित था। एक गांव रामचौरा में और दूसरा मझौली गांव में है। वर्ष 1177 फसली में दिये गये एक सनद द्वारा, एक माधोदास उर्फ मोहनदास को सैयद सुलेमान राजा खान द्वारा रामचौरा में 55 बीघा जमीन दी गई थी। ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि माधोदास एक पवित्र और धार्मिक व्यक्ति थे। इस भूमि पर माधोदास ने एक मंदिर का निर्माण किया और राम जानकी और चरण पादुका को स्थापित किया। उन्होंने दो चेला छोड़ें, जिनमें से एक गरीबदास था।

गरीबदास खलिशपुर गांव गये और उन गांव के बाबूओं के द्वारा दी गई 7 बीघा फकरीना भूमि पर रामजानकी के देवताओं की स्थापना की। दूसरे चेले, हनुमानदास, जो रामचौरा में रहे, ने मझौली में भूमि खरीदकर अधिग्रहण किंया और उस पर एक मंदिर का निर्माण किया जहां रामजानकी जी और लक्ष्मी नारायणजी के देवताओं को स्थापित किया गया था।

गरीबदास की मृत्यु के बाद खालिसपुर की संपत्ति भी हनुमानदास के कब्जे में आ गई। हनुमानदास के बाद गंगारामदास ने पदभार संभाला और उनकी जगह हरेराम, हरभाजंदास, हरख नारायण और रघुबरदास ने पदभार संभाला। 1951 में जमींदारी के उन्मूलन पर रघुबर्दास ने विवरणी दिये और इस आधार पर वार्षिकी का दावा किया कि सम्पत्तियां एक सार्वजनिक मंदिर की सम्पत्तियां थीं।

उन्होंने इस आधार पर अपीलार्थियों को विवरणी, लेखा और व्यय भी प्रस्तुत किया कि मंदिर सार्वजनिक मंदिर थे। ये विवरणी 1951 से 1958-1959 तक किये गये थे, जब रघुबर्दास की मृत्यु हो गयी थी। प्रत्यर्थी रघुबरदास का भतीजा और चेला था और रघुबरदास की मृत्यु के बाद इन संपत्तियों पर उसका कब्जा हो गया। 29, सितम्बर, 1961 को प्रत्यर्थी ने अपीलार्थियों के विरुद्ध एक वाद दायर किया। मुजफ्फरपुर में अधीनस्थ न्यायाधीश की न्यायालय ने रघुबरदास का भूमि सुधार कार्यालय में प्रार्थनापत्र दाखिल करने का कृत्य जिनको उनके द्वारा वार्षिकी मांगी गयी। सम्पत्तियों को सार्वजनिक न्यास का मानते हुए और आय एवं व्यय का लेना देना, अपीलार्थी को " कानून और तथ्य के गलत दृष्टिकोण के तहत था और उक्त कार्य वादी पर बाध्यकारी नही है वही "तथ्य और कानून की गलतफहमी के तहत किया गया था। वादी ने एक घोषणा के लिए प्रार्थना की " कि सम्पत्तियां वादी की धर्मनिरपेक्ष सम्पत्तियां थीं या सबसे अच्छा निजी न्यास संपत्तियां और सार्वजनिक न्यास सम्पत्ति नहीं है और प्रतिवादी वादी के कृत्यों और विलेख पर किसी पर्यवेक्षण का दावा नही कर सकता है। बचाव मे, अपीलकर्ताओं ने कहा कि मंदिर और उनसे जुड़ी सम्पत्तियां सार्वजनिक धार्मिक न्यास की संपत्तियां थीं और प्रतिवादी अपील दायर करने वालों को लेखा देने के लिए उत्तरदायी थी और उनके नियंत्रण में रहा। वाद बिंदु को तैयार किया गया और साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

विचारण न्यायालय का विचार था कि सैय्यद सुलेमान राजा खान द्वारा मोहनदास को रामचौरा में भूमि का अनुदान देवता को

दिया गया अनुदान नहीं प्रतीत होता है और वास्तव में यह किसी हिंदू देवता को एक मुस्लिम द्वारा नहीं दिया जा सकता था। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि जनता का मंदिर के निर्माण या उसके प्रबंधन से कोई लेना-देना था। मझौली के मंदिर के सम्बंध में विचारण न्यायालय ने कहा कि अगर सम्पत्तियां देवताओं को समर्पित की गई थीं, तो राजस्व रिकार्ड वे उनके नाम पर खड़े होते, न कि रघुबरदास के नाम पर। विचारण न्यायालय ने 1961 में हुलास भाटी देवी द्वारा किये गये दान के एक विलेख का उल्लेख किया। उन्होंने मझौली के मंदिर में लक्ष्मी नारायणजी को कुछ संपत्तियां समर्पित की थीं। विचारण न्यायालय की राय में, यह केवल अस्थल के लिये एक वृद्धि थी और यह नही कहा जा सकता था क्योंकि एक पवित्र महिला द्वारा मंदिर में देवताओं को कुछ अतिरिक्त अनुदान दिया गया था, इसलिए मंदिर एक सार्वजनिक न्यास बन गया। स्वीकृत किया, विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी के साक्ष्य पर भरोसा किया, जैसा कि इसे पढ़ा, कि रघुबरदास तब बीमार थे जब उन्होंने अपीलकर्ताओं को उपरोक्त विवरणी दी और तथ्य के गलत दृष्टिकोण और गलत कानूनी सलाह के तहत कि हालांकि यह सार्वजनिक विश्वास नही था। विचारण न्यायालय द्वारा कहा गया कि स्वीकृति गलत दिखायी जा सकती है और पुनः आधार लिया, कि एक मुस्लिम द्वारा एक हिन्दू को दिया गया, इससे स्वीकृति को गलत बताया गया। इसके बाद कुछ दस्तावेजों का सन्दर्भ दिया गया जिससे पता चलता है कि महंथो ने बिक्री विलेखों को निष्पादित किया था और उनके अपने नाम पर संपत्तियों के सम्बन्ध में किराये की रसीदें दी थी। विचारण अदालत के अनुसार, मौखिक साक्ष्य का बहुत महत्व नही था ; यह केवल तथ्य कि जनता के सदस्य को दर्शन के लिये मंदिरों में प्रवेश करने, प्रसाद चढ़ाने और उसमें आयोजित समारोहों में भाग लेने की अनुमति इस निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराती थी कि वे सार्वजनिक मंदिर थे क्योंकि यह कहा गया था कि यह सामान्य रूप से हिंदू भावना या प्रथा के अनुरूप नहीं होगा कि उपासकों को वापस कर दिया जाना चाहिए। नतीजतन, वाद स्वीकृत किया गया।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ।

हालांकि, उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय से अलग दृष्टिकोण लेने के लिए नहीं वह दिया गया।

प्रतिवादी हमारे सामने उपस्थित नही हुआ है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।*बाला शंकर महा शंकर भट्टजी और अन्य* । **वी. चैरिटी कमोजियनर, गुजरात राज्य, जे.टी. (1994) 5 एस. सी. 152,** जहां मंदिरो के सार्वजनिक चरित्र से सम्बन्धित कानून निर्धारित किया गया है। यह निर्धारित किया गया है कि जहां मंदिर प्राचीन हैं, वहां जनता के प्रति समर्पण का प्रमाण खोजना मुश्किल है और ऐसी परिस्थितियां जो मंदिरों के प्रबंधन के सम्बन्ध में प्राप्त होती हैं। पूजा करने के उसके चरित्र का संकेत मिलता है कि वह सार्वजनिक मंदिर या निजी मंदिर है।

हमारे विचार में, उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहे कि यह कानून और तथ्य की गलती के आधार पर वाद था। यह कि डी प्रतिउत्तरदाता (वादी) को इस दायित्व का निर्वहन करना था और यह दायित्व इस तथ्य के कारण और भारी हो गया था कि कथित गलती प्रतिउत्तरदाता की नही बल्कि, उनके मृत पूर्ववर्ती की थी। पहला प्रश्न जिस पर न्यायालय को विचार करना चाहिए था, वह यह था कि क्या वादी ने यह साबित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन किया था कि रघुबरदास ने प्रासंगिक विवरणी "कानून और तथ्य" के गलत दृष्टिकोण के तहत या "तथ्य और कानून गलत समझ के तहत" बनाया था। इस संबंध में प्रतिउत्तरदाता का साक्ष्य केवल यह है: “रघुबरदास ने पहले कुछ विवरणी जमा किये थे। धार्मिक न्यास बोर्ड के एक अधिवक्ता ने विधिक सलाह दी थी कि सार्वजनिक और निजी न्यास दोनों विवरणी जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैंने कोई विवरणी जमा नही किया है।" पहला, विधिक परामर्श के आधार पर कार्य करना, वास्तव में, तथ्य या कानून की गलत व्याख्या पर कार्य करना नहीं है। दूसरे, प्रतिवादी ने यह नही बताया कि जब अधिवक्ता ने कथित परामर्श दिया तो वह उपस्थित था। उन्होंने अधिवक्ता का नाम नहीं बताया, अधिवक्ता का परीक्षण नही हुआ, अपरिहार्य रूप से निष्कर्ष यह है कि यह स्थापित होना है कि कोई विश्वसनीय साक्ष्य नही था कि रघुबरदास ने तथ्य या कानून की गलती पर कार्रवाई की थी और यह वाद खारिज किया जाये। दूसरे, स्वयं प्रतिउत्तरदाता के मामले में, उसका मुकदमा विफल हो गया। उनका मामला था कि मंदिर रघुबरदास के निजी मंदिर था। रघुबरदास द्वारा प्रासंगिक विवरणी दाखिल करना कि वे सार्वजनिक मंदिर थे, उनके द्वारा उनके समर्पण के समान था।

किसी भी परिस्थिति में, साक्ष्यों की जांच इस तथ्य के प्रकाश में की जानी चाहिए थी कि रघुबरदास ने मंदिरों को सार्वजनिक मंदिरों के रूप में माना था और

यदि कोई साक्ष्य होता तो यह संकेत दे सकता है कि मंदिर सार्वजनिक थे। न्यायालयों को यह मानना चाहिए कि मंदिर सार्वजनिक थे। मंदिर, न्यायालयों द्वारा साक्ष्यों को दरकिनार करना अनुचित था कि अपीलकर्ताओं ने दिखाया कि जनता के सदस्य पूजा करते थे, मंदिरों में जाते थे और देवताओं को प्रसाद देते थे और बिना किसी की अनुमति के ऐसा करते थे। यह 17 साक्ष्यों की साक्ष्य है और उनमें से किसी से भी इस संबंध में जिरह नही की गई। विचारण न्यायालय के समक्ष रिकार्ड पर डी हुलासबाती कुएर द्वारा लक्ष्मन नारायणजी को किया गया समर्पण का कार्य था। निष्पादक ने अपने दिवंगत पति की इच्छा के अनुसार, उसमें वर्णित संपत्ति को मझौली मंदिर में रामनवमी और जन्माष्टमी पर लक्ष्मी नारायणजी की राग भोग पूजा के लिए समर्पित कर दिया। विचारण न्यायालय यह कहने में सही था कि यह एक अभिवृद्धि थी, लेकिन यह कहना गलत था कि केवल इसलिए कि एक पवित्र महिला द्वारा मंदिर में देवताओं को अतिरिक्त अनुदान दिया गया है, मंदिर सार्वजनिक मंदिर नही बन जाता है। यह तथ्य कि उक्त धर्मपरायण महिला ऐसा समर्पण कर सकती थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया, मंदिर के सार्वजनिक चरित्र को दर्शाता है। यह कि महंतो ने अपने नाम पर संपत्तियों का सौदा किया, इस तथ्य से इंकार नही किया जाता है कि मंदिर सार्वजनिक मंदिर थे क्योंकि यह कहा जा सकता है कि वे उन देवताओं की ओर से सौदा कर रहे थे, जिन्हें संपत्ति समर्पित की गई थी।

दो अन्य पहलू हैं जिन पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, विचारण न्यायालय ने यह कहने में गलती की थी कि वादी ने शपथपूर्वक साक्ष्य दिया था कि, प्रासंगिक अवधि के दौरान, जिसमें उसने विवरणी दाखिल किया था, रघुबरदास बीमार थे, और उच्च न्यायालय ने इस पर ध्यान न देकर गलती की थी। इस संबंध में वादी का साक्ष्य पहले ही उद्धृत किया जा चुका है और इसमें यह नही कहा गया है कि रघुबरदास बीमार थे। यह अक्षमता का मामला बन रहा है जिसकी वकालत नहीं की गई थी। फिर, विचारण न्यायालय ने पाया कि यह अनुदान देवता को दिया गया अनुदान प्रतीत होता है और "वास्तव में यह किसी मुस्लिम द्वारा किसी हिंदू देवता को नही दिया जा सकता था"। यह कथन किस आधार पर दिया गया है, यह स्पष्ट नहीं है और यह हमें काफी गलत लगता है।

परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालयों के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ता द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। प्रत्युत्तरदाता अपीलकर्ता को अपील की लागत का भुगतान करेगा।

अपील स्वीकृत

vetted by Jyotsna Nagvanshi, Civil Judge(Junior division)/FTC, J.O.Code-UP3670, Court no.-43, Barabanki.